



# HAPUR POLICE



## OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 22 वर्ष का सश्रम कारावास व 40,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 25.07.2025 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में 01 आरोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 19.10.2022 को अभियुक्त सुनील पुत्र नौबत निवासी ग्राम गड़ावली थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 549/2022 धारा 354ग, 506, 376(2)एन भादवि व 5L/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 24.11.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया
- आज दिनांक 25.07.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉस्को प्रथम हापुड़ द्वारा 22 वर्ष का सश्रम कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।
- अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक निरीक्षक श्री अमित कुमार एवं पैरोकार म0का0 रीटा व कोर्ट मोहर्नर है0का0 प्रशांत कुमार पाण्डेय का विशेष योगदान रहा ।

